

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(5)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक:- **19 AUG 2021**

अधिसूचना

राजस्थान नगर सूधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार रूपवास, जिला भरतपुर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील रूपवास के निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र भरतपुर को एतद द्वारा नियुक्त करती हैः—

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	कुन्दनवाडा
2.	सिंघावली
3.	रूपवास
4.	रुधि रूपवास
5.	भिड्यानी
6.	चैंकोरा
7.	जहाननगर
8.	नगला जरैला

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
6. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रूपवास, जिला भरतपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक **19/8/21** में प्रकाशित कराये जाने बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

11